न्यायायल श्रीमान् राजस्व मंड़ल श्रृखला न्यायालय रीवा
संभाग रीवा (म.प्र.)

213

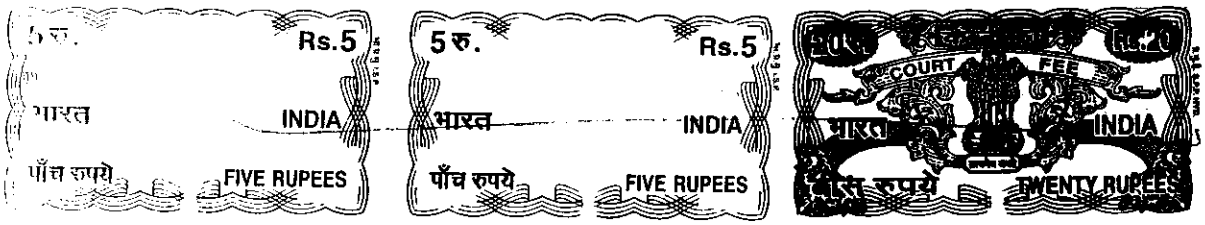

Rs 301

1. रामलखन यादव तनय जुगरा यादव उम्र 56 वर्ष पेशा खेती
2. रामजियावन तनय रामलखन यादव उम्र 26 वर्ष पेशा खेती

दोनो निवासी ग्राम कठास तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)'—पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. रामरतन तनय रामचन्द्र गुप्ता उम्र 62 वर्ष पेशा व्यापार निवासी ग्राम सतनरा पवाई (कठास) तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
2. म.प्र.शासन द्वारा हल्का पटवारी कठास तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

—गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपदबनास के राजस्व प्रकरण क्रमांक 10/अ–5/2016–17 आदेश दिनांक 27.02.17 (27.07.17)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

पुनरीक्षण के निम्न आधार है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य व सहज न्याय के सिद्धात के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय पुनरीक्षणकर्तागण /आपत्तिकर्तागण के आपत्ति पर कोई विचार किये बिना प्रश्नाधीन आदेश तकनीकी आधार पर पारित किया है एवं प्रश्नाधीन आदेश में दिनांक 27.02.17 के बजाय 27.07.17 आदेश पंजिका में उल्लेखित कर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जो हस्ताक्षर सील मुद्रा के ऊपर की गई है उसमें भी दिनांक 27.07.17 तारीख अंकित है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इसी विन्दु पर अपास्त होने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय आपत्तिकर्तागण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5129–दो/17 जिला– सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित होकर नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास जिला सीधी का प्रकरण कमांक 10/अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.2.17 के विरूद्व यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया जिसमें आवेदित आराजी की रजिस्ट्री की छाया प्रति अनुसार आपत्तिकर्ता रामजियावन द्वारा शांति देवी के पक्ष में विक्रय किया जाना तत्पश्चात शांति देवी द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त करते पश्चात आवेदक के पक्ष में रजिस्ट्री कराया जाना पाया जाता हैं। हल्का पटवारी प्रतिवेदन में उल्लेखित चौहददी तथा रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र में उल्लेखित चोहददी में साम्यता पायी जाती है, और प्रकरण की आवेदति आराजियात के संबंध में सिविल प्रकरण विचारधीन होने संबंधी कोई प्रमाणित दस्तावेजों आपत्तिकर्तागण द्वारा पेश नहीं किये गये हैं यह तथ्य नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया	

गया हैं अतः नक्शा तरमीम स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। अतएव नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास जिला सीधी का प्रकरण कमांक 10/अ—5/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 27.2.17 स्थिर रखा जाता है । आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य